

# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/RTE/C/बजट प्रावधान/18873/15-16/183

दिनांक-08/02/17

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारंभिक शिक्षा  
.....(समस्त)


महत्वपूर्ण

**विषय:-**निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत निशुल्क प्रवेशित बालकों के संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण किये जाने हेतु आवंटित बजट राशि का तत्काल उपयोग करने हेतु समीक्षा कर बजट राशि समर्पित करने तथा आवश्यक राशि के संबंध में ।

**प्रसंग:-**इस कार्यालय का पत्रांक:-शिविरा/प्रारं/RTE/C/पुनर्भरण/18882/16-17/प्रथम किस्त/24 दिनांक 25.11.16, पत्रांक 357 दिनांक 12.07.16 एवं समसंख्यक पत्रांक 179 दिनांक 06.02.17 ।

उपरोक्त प्रासांगिक विषयांतर्गत पत्र दिनांक 06.02.17 के संबंध में लेख है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 समाप्ति पर है, अतः बीईईओ कार्यालयों के पास उपलब्ध राशि की अविलंब समीक्षा करवाकर आपके जिले के जिन बीईईओ कार्यालयों को राशि खर्च होने की संभावना नहीं है, उनसे राशि समर्पित करवाने के प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में तैयार कर तथा जिन बीईईओ कार्यालयों को राशि की आवश्यकता है, उन्हें राशि आवंटित करवाने के संपूर्ण प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में तैयार कर निदेशालय के आरटीई अनुभाग की ई-मेल ddrtebknr@gmail.com पर प्रेषित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे जिससे बजट राशि के अभाव में किसी ब्लॉक कार्यालय के अधीन गैर सरकारी विद्यालय भुगतान से वंचित नहीं रहे । परंतु कुछ बीईईओ कार्यालय अभी भी निदेशालय को अपनी डिमांड प्रेषित कर रहे हैं । इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने अपने जिले के समस्त बीईईओ कार्यालयों को इस संबंध में समीक्षा करने के संबंध में निर्देश प्रदान नहीं किये हैं जबकी वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है । अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के समस्त बीईईओ कार्यालयों में आरटीई मद में उपलब्ध राशि, व्यय राशि, समर्पित की जाने वाली/बचत राशि/आवश्यक राशि की अविलंब समीक्षा कर संलग्न निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण जिले की समर्पित की जाने वाली/आवंटित की जाने वाली राशि के संबंध में निदेशालय के आरटीई अनुभाग की ई-मेल ddrtebknr@gmail.com पर प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें जिससे बजट राशि के अभाव में किसी ब्लॉक कार्यालय के अधीन गैर सरकारी विद्यालय भुगतान से वंचित नहीं रहे । प्रारूप में अंकित किसी भी कॉलम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें तथा समस्त सूचनाएं पूर्ण करने के पश्चात् ही निदेशालय को केवल ई-मेल द्वारा ही प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार प्रारूप ।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

**प्रारूप**

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा.....**

क्रमांक- ..... दिनांक- ..... को IFMS से डाउनलोड रिपोर्ट अनुसार))

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	IFSC कोड	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अब तक आवंटित कुल राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अब तक व्यय कुल राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में शेष राशि	शेष राशि में से कम किये जाने के पश्चात् वास्तविक मांग राशि	समर्पित करने हेतु राशि
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							

जिला शिक्षा अधिकारी का नाम-  
मोबाईल नंबर-

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारंभिक शिक्षा .....